

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-07102020-222273
SG-DL-E-07102020-222273

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]	दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 6, 2020/आश्विन 14, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 151
No. 205]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2020/ASVINA 14, 1942	[N. C. T. D. No. 151

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

सं. फा. 14(30)/एलए-2020/cons2law/96-103.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने भारत के माननीय राष्ट्रपति की सहमति दिनांक 18 अगस्त, 2020 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

“दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2015”
(2020 का दिल्ली अधिनियम 05)

(24 जून, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा-पारित)

[18 सितंबर, 2020]

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 में आगे संशोधन के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

1. इस अधिनियम को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जाएगा ।
2. यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत तिथि से प्रभावी होगा ।

धारा 2 का संशोधन:

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2010 की धारा 2 के खण्ड (छ) उपखण्ड (iii) में "31 मार्च, 2002" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर "1 जनवरी, 2006" शब्दों तथा अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 5th October, 2020

No. F.14(30)/LA-2020/cons2law/96-103.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Hon'ble President of India on the 18th August, 2020 and is hereby published for general information:-

**“THE DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD (AMENDMENT) ACT, 2015
(DELHI ACT 05 OF 2020)**

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 24th June, 2015)

[18th September, 2020]

An Act to amend the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-one Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. This Act may be called the Delhi Urban Shelter Improvement Board (Amendment) Act, 2020.
2. It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Amendment of Section 2 –

In the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 in section 2, in clause (g), in sub-clause (iii), for the words and figures “31st March, 2002”, the words and figures “1st January, 2006” shall be substituted.

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy. (Law, Justice & L.A.)